(26)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 175–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–11–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 521/अपील/2008–09.

रामप्रसाद आत्मज मुकुन्दी (मृतक) द्वारा वारिसानगण
1– रामनारायण पुत्र स्व. रामप्रसाद
2– विजय सिंह पुत्र स्व. रामप्रसाद
3– सुजान सिंह पुत्र स्व. रामप्रसाद
4– फूलकुंवर बाई पुत्री स्व. रामप्रसाद
5– गोकुल बाई पुत्री स्व. रामप्रसाद
6– श्रंगार बाई पुत्री स्व. रामप्रसाद
7– लक्ष्मी बाई पुत्री स्व. रामप्रसाद
8– राधेश्याम पुत्र स्व. पर्वत सिंह
9– सीताराम पुत्र स्व. पर्वत सिंह
10– सुरेश पुत्र स्व. पर्वत सिंह
11– सौरम बाई पत्नी स्व. पर्वत सिंह
निवासीगण ग्राम बड़झिरी
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– फूलकुंवर बाई पत्नी स्व. आशाराम
निवासी ग्राम बड़झिरी
तहसील बैरसिया जिला भोपाल
2– म0प्र0 शासन द्वारा अपर तहसीलदार
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....अनावेदकगण

श्री अनोज गुप्ता, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री संजीव शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/4/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–11–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम आमला तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि कुल किता 8 कुल रकबा 70.29 एकड़ आवेदक कमांक 1 लगायत 7 के पिता, आवेदक कमांक 8 लगायत 11 एवं अनावेदक कमांक 1 के नाम संयुक्त रूप से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी । उक्त भूमि के बटवारा हेतु तहसील न्यायालय हुजूर जिला भोपाल के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 25–1–2005 को आदेश पारित कर बटवारा स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला भोपाल के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17–6–09 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया कि खाते में दर्ज सभी संयुक्त खातेदारों को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुए बटवारा आदेश पारित किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 26–11–2014 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 28–12–2016 को अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक के तर्क सुने जाकर इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि आवेदकगण के अभिभाषक 7 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु आवेदकगण की ओर से नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः प्रकरण का निराकरण अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं आवेदकगण की ओर से निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों के संदर्भ में किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण को पक्ष समर्थन का बिना अवसर दिये आदेश पारित किया गया है, जो कि इसी आधार पर निरस्ती योग्य था, परन्तु उसे निरस्त नहीं करने में अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिकता की गई है ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किया गया है, जो कि संहिता की धारा 56 के अंतर्गत बोलता हुआ आदेश की परिधि में आता है, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा बिना अभिलेख का सूक्ष्म अवलोकन किये आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) अनावेदक कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष बिना आवेदकगण को पक्षकार बनाये, न्यायालय को गुमराह करते हुए अपील प्रस्तुत की गई थी, जो कि पक्षकार के कुसंयोजन के कारण इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य थी ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि तहसील न्यायालय द्वारा बिना अनावेदक कमांक 1 की सहमति लिये, और बिना हस्ताक्षर कराये बटवारा आदेश पारित किया गया था, अतः तहसील न्यायालय के अवैधानिक बटवारा आदेश को निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा भी कोई भूल नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश के परिप्रेक्ष्य में तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा किया जाना है, जहां आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है, और आवेदकगण निगरानी में उठाये गये आधारों को तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों पर एवं अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि में अनावेदिका कमांक 1 सहखातेदार होकर उसका हिस्सा राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, इसके बावजूद भी तहसील न्यायालय द्वारा बिना अनावेदिका कमांक 1 को सुनवाई का अवसर दिये बटवारा आदेश पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना की गई है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा उचित कार्यवाही की

गई है । अतः दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–11–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर